

क्रमांक :- प.4(102)वित्त-1(1)आय.व्य/2020

जयपुर,दिनांक : 02 अगस्त, 2021

स्वीकृति संख्या 193 / 2021-22

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरे रूपये पाँच करोड़) मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ.1(6)(182)/ लेखा/ टीएडी/कुसम योजना/2021-22/ दिनांक 28.07.2021 (स्वीकृति संख्या 03/2021-22) में अंकित कार्यों एवं शर्तों के अनुसार, आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरे रूपये पाँच करोड़) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मद से हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या - 30

(राशि रूपये लाख में)

बजट मद (राज्य निधि)	राशि
2225 -अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	
02 -अनुसूचित जातियों का कल्याण	
796 -जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	
(09) -जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि)	
[45] -स्वरोजगार हेतु अनुदान	
12 -सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	500.00
योग	500.00

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,




(श्रीकृष्ण शर्मा)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

A.O.DAD



1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव, वित्त (बजट)